



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

आकाश गंगा, सुपेला, जी.ई.रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490023,

ई-मेल : nigram_bhilai@yahoo.co.in

क्रमांक/सात/दो/म.अ./2025/

181

भिलाई, दिनांक 29/4 /2025

//नोटिस//

प्रति,

1. श्री आकाश अग्रवाल आ. राम अवतार अग्रवाल

2. डॉ. कंचन अग्रवाल/राम अवतार अग्रवाल

पता- सेक्टर 11 जोन-01 मार्केट

भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय :-

सन्दर्भ:-

अवैध रूप से भूखण्डों का विक्रय किये जाने दुस्प्रेरण करने के संबंध में।

1. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/101/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

2. कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) का पत्र

क्रमांक/103/मु.व.उ.प./2025 दुर्ग, दिनांक 24.02.2025

*****0000*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत आपके द्वारा अवैध प्लानिंग कार्य करने साक्ष्य के रूप में कार्यालय मुख्यालय वरिष्ठ उप-पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) के माध्यम से आपके द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-कोहका खसरा क्रमांक 2149/01, 06, 13 को अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किया जाने की जानकारी/दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। जो कि उक्त खसरों का अवैध रूप से छोटे भूखण्डों में विघटित कर विक्रय किये जाने को स्पष्ट करता है। यह कृत्य छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बाधन तथा शर्तें) नियम 2013 व छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिस हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के अंतर्गत इस कृत्य हेतु कम से कम 03 वर्ष और अधिक से अधिक 07 वर्ष के कारावास से तथा न्यूनतम 01 लाख रु. के जुर्माना से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः क्यों न आपके विरुद्ध भूमि के अवैध रूप से विखण्डन कर विक्रय करने एवं अवैध कॉलोनी के निर्माण करने का दुस्प्रेरण करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के धारा 292(ग)(3) के तहत कार्यवाही की जावे, इस संबंध में आप अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अथवा लिखित रूप से भू-स्वामी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेंगे, उक्त समयावधि के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अथवा प्रस्तुत पक्ष तर्क संगत/सार्थक नहीं होने पर की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि आप उक्त कार्यवाही हेतु सहमत हैं।

सूचना जाने।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 29/4 /2025

पृ.क्र./सात/दो/म.अ./2025/ 182

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, दुर्ग, जिला कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
3. जिला पंजीयक, पंजीयन कार्यालय दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. तहसीलदार, दुर्ग/अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रं. 01 नेहरू नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई को उपरोक्त स्थलों पर आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
भिलाई

